प्रेस नोट दिनांक-22.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

एसटीएफ प्रयागराज व थाना रानीगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी — ₹50,000/- के अन्तर्जनपदीय इनामी अपराधी महमूद खां गिरफ्तार-

अभियुक्त पर ₹50,000/- का पुरस्कार पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा किया गया था घोषित

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त महमूद खां के विरुद्ध जनपद श्रावस्ती, प्रयागराज, बहराइच, प्रतापगढ़ में लूट, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट व गैंगस्टर एक्ट, जैसे कुल 12 संगीन मुकदमे पंजीकृत हैं।

योजनाबद्ध तरीके से लूट व गैगस्टर के अभियोग में वांछित अन्तर्जनपदीय इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दाँदूपुर तिराहा के पास से किया गया गिरफ्तार

दिनांक 22.06.2025 को एसटीएफ टीम प्रयागराज निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह टीम हे0का0 अभिषेक मिश्रा, हे0का0 पंकज तिवारी, हे0का0 किशन चन्द्र, चालक का0 रविकान्त सिंह व थाना रानीगंज के प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह मय हमराह का0 आयुष यादव, का0 प्रदीप कुमार यादव चालक हे0का0 कमलेश यादव द्वारा संयुक्त रुप से मु0अ0सं0 72/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 50 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त महमूद खां पुत्र रमजान खां निवासी गलगलगोटिया थाना हरदत्तनगर गिरन्ट जनपद श्रावस्ती को जनपद प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दाँदूपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना रानीगंज पुलिस के सहयोग से दिनांक 22.06.2025 को एसटीएफ टीम प्रयागराज यूनिट उ0प्र0 द्वारा थाना रानीगंज पुलिस के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत दाँदूपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी/ गिरफ्तारी में रानीगंज पुलिस टीम का सहयोग प्राप्त हुआ।

-पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज महोदय द्वारा शातिर अभियुक्त महमूद खां पुत्र रमजान खां निवासी गलगलगोटिया थाना हरदत्तनगर गिरन्ट जनपद श्रावस्ती उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-
महमूद खां पुत्र रमजान खां निवासी गलगलगोटिया थाना हरदत्तनगर गिरन्ट जनपद श्रावस्ती।

अभियुक्त महमूद खां पुत्र रमजान खां निवासी गलगलगोटिया थाना हरदत्तनगर गिरन्ट जनपद श्रावस्ती का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0-2322/2017 धारा 41, 411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना कोतवाली देहात बहराइच।
02. मु0अ0सं0 282/2022 धारा 147, 323, 325, 452, 506 भादवि थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।
03. मु0अ0सं0-68/2023 धारा-323/325/504/506 भादवि थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती।

04. मु0अ0सं0-82/2023 धारा-147/323/325/452/506 भादवि थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती।
05. मु0अ0सं0-89/2023 धारा-147/148/188/308/323/504/506 भादवि थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती।
06. मु0अ0सं0-193/2023 धारा-419/420/467/468 भादवि थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।
07. मु0अ0सं0-206/2023 धारा-147/148/149/323/427/452/504/506 भादवि व 3(1)4, 3(1)द एससी/ एसटी एक्ट थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती।
08. मु0अ0सं0- 279/23 धारा-3(1) गिरोह बन्द विरोधी क्रिया कलाप नि0 अधि0 थाना हरदत्तनगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती।
09. मु0अ0सं0-285/2023 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।
10. मु0अ0सं0-44/2024 धारा 120बी/34/342/395/397/412/413/4 थाना शंकरगढ़ यमुनानगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
11. मु0अ0सं0-94/2024 धारा- 147/323/504/506 भादवि थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती।
12. मु0अ0सं0-110/2024 धारा-395/412/ भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-
एसटीएफ टीम प्रयागराज- निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह मय हमराह टीम हे0का0 अभिषेक मिश्रा, हे0का0 पंकज तिवारी, हे0का0 किशन चन्द्र, चालक का0 रविकान्त सिंह।

थाना रानीगंज पुलिस- प्रभारी निरीक्षक थाना रानीगंज श्री अर्जुन सिंह मय हमराह का0 आयुष यादव, का0 प्रदीप कुमार यादव चालक हे0का0 कमलेश यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद।

थाना महेशगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत गैस एजेन्सी राय आसकरनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
वादिनी की सास व ससुर को आरोपीगणों द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वादिनी के बीच बचाव करने पर वादिनी को भी मारे पीटे व जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके संबंध में दिनांक-15.06.2025 को थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 120/2025 धारा 109, 110, 333, 352, 117(2) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री मुकेश कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह का0 विनय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2025 धारा 109, 110, 333, 352, 117(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त जगनरायण सरोज पुत्र होलई निवासी

रायअसकरनपुर बंतरी थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत गैस एजेन्सी राय आसकरनपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- जगनरायण सरोज पुत्र होलई निवासी रायअसकरनपुर बंतरी थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 प्रभाशंकर सचान मय हमराह का0 विनय कुमार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्तों को थाना जेठवारा क्षेत्रातंर्गत खटवारा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनाकं 11.03.2025 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में धारा 69, 115(2), 352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का० जय प्रकाश यादव व का0 आशुतोष चौबे द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त आशीष कुमार सरोज पुत्र लाल बहादुर सरोज नि0 ग्राम खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्र जेठवारा के डेरवा बुढियापुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
आशीष कुमार सरोज पुत्र लाल बहादुर सरोज नि0 ग्राम खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

पुलिस टीम-
उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का० जय प्रकाश यादव व का0 आशुतोष चौबे थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

सीमेंट चोरी प्रकरण में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार – ₹3200/- नगद बरामद-

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत दादूपुर पडान मोड के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना लीलापुर ग्राम विसई त्रिलोकपुर में पुल निर्माण कार्य हेतु लाया गया सीमेंट ट्रक से उतारकर रखा गया था, जिसमें से 48 बोरी सीमेंट संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक-12.05.2025 को थाना लीलापुर में मु0अ0सं0-97/2025 धारा-303(2) बीएनएस बनाम 05 नामजद पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व नें उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह हे0का0 नागेन्द्र प्रसाद व का० सुरजीत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-97/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ बीक्कू सिंह पुत्र जितेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम पुरेबैरिसाल थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को चोरी के सीमेंट की ब्रिक्री से बचे हुए 3200/- रूपये के साथ थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत दादूपुर पडान मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. बृजेन्द्र सिंह उर्फ बीक्कू सिंह पुत्र जितेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम पुरेबैरिसाल थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ग्राम विसई त्रिलोकपुर में पुल निर्माण कार्य हेतु लाये गये सीमेंट को चोरी कर लिया था। ये चोरी के सीमेंट की ब्रिक्री से बचे हुए रूपये है बाकी रूपये खर्च हो गये।

बरामदगी-
चोरी के सीमेंट की ब्रिक्री से बचे हुए 3200/- रूपये बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह हे0का0 नागेन्द्र प्रसाद व का० सुरजीत कुमार थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना जेठवारा क्षेत्रातंर्गत खटवारा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनाकं 19.03.2025 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में धारा 137(2), 87, 70(2) बीएनएस, 5जी/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष जेठवारा श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अमित वर्मा मय हमराह का0 आशुतोष चौबे , का0 जयप्रकाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 02 वांछित अभियुक्तों मो0 खान मुंशी पुत्र मो० अहमद अली निवासी ग्राम रईचनपुर कोटवा शुकुलपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र 20 वर्ष 2. मोहित वर्मा पुत्र नन्दलाल वर्मा निवासी तारापुर कोटवा शुकुलपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र 21 वर्ष को थाना क्षेत्र जेठवारा के खटवारा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 खान मुंशी पुत्र मो० अहमद अली निवासी ग्राम रईचनपुर कोटवा शुकुलपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र 20 वर्ष
2. मोहित वर्मा पुत्र नन्दलाल वर्मा निवासी तारापुर कोटवा शुकुलपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र 21 वर्ष

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित वर्मा मय हमराह का0 आशुतोष चौबे , का0 जयप्रकाश यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिलावटपुर में तालाब में एक लड़के की तालाब में घुसने से करंट लगने से हुई मृत्यु के संबंध में गैर इरादतन हत्या से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत से 01 अभियुक्त को बिहार रोड़ पर नाला पुल के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाकं 09.05.2025 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिलावटपुर में तालाब में एक लड़के की तालाब में घुसने से करंट लगने से हुई मृत्यु के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0-122/ 2025 धारा-105 बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराहिगण का० उमाशंकर भारती, का0 मंदीप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-122/ 2025 धारा-105 बीएनएस थाना कुण्डा से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त माया राम सरोज पुत्र स्व0 कलेसर उर्फ नाटा निवासी ग्राम सिलवाटपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष को थाना क्षेत्र कुण्डा के बिहार रोड़ पर नाला पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- माया राम सरोज पुत्र स्व0 कलेसर उर्फ नाटा निवासी ग्राम सिलवाटपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 65 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराहिगण का० उमाशंकर भारती, का0 मंदीप सिंह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सर्तकता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात के आरक्षी कृष्णकान्त ने 01 गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिंकजा

आरक्षी कृष्णकान्त ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली देहात के आरक्षी कृष्णकान्त को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर संगठित तरीके से साजिश कर अपहरण व गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराध में संलिप्त हैं

आरक्षी कृष्णकान्त के सहयोग से थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात के आरक्षी कृष्णकान्त के सहयोग से दिनांक 22.06.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 276/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली नगर में 01 वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) मो0 असगर पुत्र मुनीर अहमद निवासी ग्राम सडक खदेरूआपुर सिटी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सगरा ढलान विकास भवन मोड के पास गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मो0 असगर पुत्र मुनीर अहमद निवासी ग्राम सडक खदेरूआपुर सिटी थाना कोत० देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष (गैंग सदस्य)

आपराधिक इतिहास-
(गैंग सदस्य) मो0 असगर पुत्र मुनीर अहमद निवासी ग्राम सडक खदेरूआपुर सिटी थाना कोत० देहात जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास ।
1. मु0अ0सं0 890/23 धारा 364ए भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 276/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली नगर

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के उ0नि0 मुकेश सिंह परिहार मय हमराह उ0नि0 गुलाब सिंह, उ0नि0 शिशिर पटेल, हे0का0 कर्मवीर सिंह व का0 दुर्वीन कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0नं0 243/24, अ0सं0 150/23 धारा 354क, 504, 506 भादवि थाना नवाबगंज से संबंधित 01 वारंटी दारा वर्मा उर्फ अजय पुत्र बालकृष्ण वर्मा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी डोलिया छिन्दौरा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के मिश्रपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. दारा वर्मा उर्फ अजय पुत्र बालकृष्ण वर्मा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी डोलिया छिन्दौरा थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मुकेश सिंह परिहार मय हमराह उ0नि0 गुलाब सिंह, उ0नि0 शिशिर पटेल, हे0का0 कर्मवीर सिंह व का0 दुर्वीन कुमार थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कन्धई पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान, अवैध तमन्चे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में किया गया सीज।

थाना कन्धई पुलिस द्वारा 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत मन्दाह बैरियर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना कन्धई प्रभारी निरीक्षक श्री गुलाब चन्द्र सोनकर के नेतृत्व में उ0नि0 अशोक कुमार यादव मय चौकी प्रभारी मन्दाह उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह का0 राहुल कुमार, का0 कुलदीप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल ब्लैक कलर स्पलेण्डर नं0 नंबर यूपी 72 बीएक्स 6693 सवार 01 अभियुक्त शहरुद्दीन पुत्र सलीम खान निवासी प्रगासपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थाना कन्धई क्षेत्रांतर्गत मन्दाह बैरियर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया । मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कन्धई में मु0अ0सं0 148/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01- शहरुद्दीन पुत्र सलीम खान निवासी प्रगासपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 अशोक कुमार यादव मय चौकी प्रभारी मन्दाह उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह का0 राहुल कुमार, का0 कुलदीप सिंह थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट तिथि:- 21 जून 2025 (21.06.2025) जनपद प्रतापगढ़

07 शिकायतों में ₹1,40,937/- की धनराशि साइबर क्राइम पुलिस, प्रतापगढ़ द्वारा पीड़ितों को वापस कराई गई

जनपद प्रतापगढ़ में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय के निर्देशन में साइबर क्राइम पुलिस टीम प्रतापगढ़ द्वारा एक विशेष अभियान संचालित किया गया।

इस अभियान के अंतर्गत, विगत सप्ताह में कुल 07 साइबर ठगी की शिकायतों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल ₹1,40,937/- (एक लाख चालीस हजार नौ सौ सैतीस रुपये) की धनराशि पीड़ितों को वापस कराई गई।

वापस कराई गई धनराशि का विवरण:-
कुल शिकायतें: 07

वापस कराई गई कुल राशि: ₹1,40,937/-

ठगी के तरीके:-
1. यूपीआई फ्रॉड
2. क्रेडिट कार्ड
3. OLX व अन्य ऑनलाइन माध्यम से ठगी।

साइबर क्राइम टीम, प्रतापगढ़:-
नि. दिवाकर सिंह, प्रभारी, साइबर क्राइम थाना, प्रतापगढ़
उ.नि. विंध्यवासिनी तिवारी, प्रभारी, साइबर क्राइम सेल-प्रतापगढ़
प्रतापगढ़ साइबर पुलिस टीम

जनसामान्य के लिए प्रतापगढ़ पुलिस की अपील (Cyber Safety Advisory):-
अज्ञात QR कोड स्कैन करने से बचें, क्योंकि इससे आपके खाते से पैसे कट सकते हैं।

पब्लिक Wi-Fi नेटवर्क पर बैंकिंग या संवेदनशील लेन-देन न करें।

मोबाइल ऐप्स केवल आधिकारिक स्टोर (Play Store/App Store) से ही डाउनलोड करें।

फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर संदिग्ध प्रोफाइल से दूरी बनाएं और उन्हें रिपोर्ट करें।

सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों या ऑफर्स को बिना जांचे फॉरवर्ड न करें।

ईमेल या मैसेज में आए अटैचमेंट बिना पुष्टि के न खोलें — इनमें वायरस या मालवेयर हो सकते हैं।

'KYC अपडेट' या 'बैंक ब्लॉक' जैसे डरावने ईमेल/मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें।

बैंक स्टेटमेंट और UPI लेनदेन इतिहास समय-समय पर जांचते रहें, ताकि किसी अनधिकृत लेन-देन का पता चल सके।

प्रतापगढ़ पुलिस – आपकी सुरक्षा हेतु सदैव प्रतिबद्ध।